संख्या- 83 /26-द0प्र0-2013-23क0पो0/2012

प्रेषक,

एस0 एच0 रिजवी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच,
श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, गाजीपुर, मीरजापुर व सोनभद्र।

अनुभाग-2 प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2013

विषय: 500 अथवा उससे अधिक आबादी वाली असंजुड़ी बसावटों (जो पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है) में से ऐसी बसावटें जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित 11 जनपदों के 64 मार्गों (जिनकी लागत ₹ 40.00 लाख से अधिक है, अतः पी0एफ0ए0डी0 से परीक्षण कराया गया है), के निर्माण हेतु सूची के स्तम्भ-07 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार ₹ 69,01,43,000/- (₹ उनहत्तर करोड़ एक लाख तैंतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ-06 में अंकित विवरण के अनुसार ₹ 62,31,44,000/- (₹ बासठ करोड़ इकतीस लाख चौवालिस हजार मात्र) को सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। चूंकि उपर्युक्त को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में पर्याप्त प्राविधान उपलब्ध नहीं है, अतएव श्री राज्यपाल महोदय ₹ 62,31,44,000/- (₹ बासठ करोड़ इकतीस लाख चौवालिस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग करके उक्त धनराशि के व्यय किये जाने की भी सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- सम्बन्धित जिलाधिकारी संलग्न सूची के स्तम्भ-05 के अनुसार ₹ 6,07,16,000/-(₹ छः करोड़ सात लाख सोलह हजार मात्र) की व्यवस्था संगत आदेशों के आलोक में मनरेगा के माध्यम से कराते हुए नियमानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अपने स्तर से निर्गत करते हुए परियोजनाओं को निर्धारित समयानुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी जिलाधिकारी अपनी अध्यक्षता में तत्काल बैठक आहूत कर लें। मुख्य विकास अधिकारी तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ यथावश्यक अन्य अधिकारियों को आमंत्रित कर लिया जाय। ग्रामीण स्तर पर सड़कवार/परियोजनावार आगणन तथा कार्ययोजना लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मानक एवं शर्तें तथा अनुमन्य कार्य और प्रक्रिया आदि का सूक्ष्म अध्ययन कर लिया जाय। तदोपरान्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तत्काल निर्गत करते हुए लोक निर्माण विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय। इस कार्य का अनुश्रवण भी करते रहें। इसमें विलम्ब न हो।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह देख लिया जाए कि सूची के मार्गों के लिए अन्य किसी योजना/मद से कोई धनराशि स्वीकृत तो नहीं है एवं उस पर कोई सड़क निर्माण कार्य तो नहीं कराया गया है।

4- प्रश्नगत कार्य आरम्भ करने के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी एवं सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य आरम्भ किया जायेगा।

5- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्र0प्रबन्ध0 एवं संबंधित जिलाधिकारी का होगा।

9- यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

क्रमशः......

s.g.v.y.-2012-83

अधिशासी अभियन्ता
[illegible]
सोनभद्र

10- आवंटित धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय करने से पूर्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर ली जाय।

11- उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई से एम0ओ0यू0 कराने के उपरान्त आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

12- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष प्रभार्य होगी। अधिष्ठान व्यय का कार्य की मूल लागत में 5 प्रतिशत घटाते हुए 12.50 प्रतिशत की धनराशि वित्त (लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4/76) दिनांक 25-01-2011 के प्रस्तर-1(2) के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियाँ-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।

13- लेबर सेस की 01 प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

14- प्रस्तगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्था-24- वृहत निर्माण कार्य में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा स्वीकृत कार्यों के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

15- इन कार्यों के सम्पादन में पंचायती राज विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-96/32-99-36/98 दिनांक 27 मई 1999 में प्राविधान के अधीन समयबद्धता, कार्य की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा इन कार्यों का शत प्रतिशत सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा टास्क फोर्स से कराकर रिपोर्ट शासन को समयबद्ध रूप में उपलब्ध करायी जाय।

16- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-340/दस-2013, दिनांक 09 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एन0एच0 रिजवी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
3- मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
5- प्रमुख सचिव, समग्र ग्राम विकास विभाग उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
7- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
8- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 लखनऊ।
11- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/सम्बन्धित संयुक्त विकास आयुक्त।
13- सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी/सम्बन्धित परियोजना निदेशक।
14- सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद।
15- सम्बन्धित कोषाधिकारी उ0प्र0।
16- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/5।
17- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (लेखा) अनुभाग-2।
18- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0 हेतु।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
सोनभद्र

शासनादेश संख्या- 93 / 26-ग्रा0प्र0-2013-23क्म्पो / 2013

दिनांक 14 फरवरी, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	जनपद / तहसील का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई	ग्राम्य द्वारा आंकलित मनरेगा से अपेक्षित धनराशि (मिट्टी एवं पुलिया)	ग्राम्य द्वारा आंकलित लो0नि0वि0 अंश	ग्राम्य द्वारा आंकलित परियोजना की कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7
1	फैजाबाद / बीकापुर	बाढ़पुर सं0मा0	2.00	7.44	61.89	69.33
2	फैजाबाद / सोहावल	मिश्रीपुर सं0मा0	1.30	4.85	41.23	46.08
3	फैजाबाद / मिल्कीपुर	चपरट्टी सं0मा0	1.14	6.37	62.83	69.20
4	फैजाबाद / रूदौली	पुरे भारी सं0मा0	2.28	16.96	77.48	94.44
5	फैजाबाद / रूदौली	बरई सं0मा0	2.70	17.08	89.20	106.28
6	अम्बेडकरनगर / टाण्डा	हबीपुर	1.20	3.76	46.33	50.09
7	अम्बेडकरनगर / टाण्डा	जैरा खास	3.00	9.41	115.72	125.13
8	अम्बेडकरनगर / आलापुर	भगवानपुर मझरिया हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.00	3.11	36.47	39.58
9	अम्बेडकरनगर / आलापुर	साहपुर महमदपुर खास. सम्पर्क मार्ग	1.50	7.17	62.11	69.28
10	अम्बेडकरनगर / आलापुर	मुबारकपुर अंजन सम्पर्क मार्ग	2.00	6.27	80.75	87.02
11	सुलतानपुर / सदर	दियरा (बंधुआकला) सं0 मार्ग	1.50	5.27	50.57	55.84
12	सुलतानपुर / कादीपुर	खलसा (शिवपुर बरधौली) सं0 मार्ग	2.00	9.54	77.73	87.27
13	सुलतानपुर / लम्भुआ	सीसानपुर (बघौली) सं0 मार्ग	1.50	5.27	50.49	55.76
14	बाराबंकी / हैदरगढ़	तिलिया सम्पर्क मार्ग	0.89	0.76	56.54	57.30
15	बाराबंकी / फतेहपुर	शेखनबाद सम्पर्क मार्ग	1.10	6.17	48.71	54.88
16	बहराइच	दिहवा सं0मार्ग	1.10	7.90	54.24	62.14
17	बहराइच	बदुआपुरवा सं0मार्ग	1.60	11.50	78.49	89.99
18	बहराइच	पिपरेन सं0मार्ग	0.85	5.49	39.54	45.0
19	बहराइच	मंगलपुरवा सं0मार्ग	1.20	6.16	53.81	59.9
20	बहराइच	मुनीसपुर कला सं0मार्ग	4.50	32.33	221.12	253.
21	बहराइच	अदरस्वा सं0मार्ग	1.40	8.42	63.40	71.
22	बहराइच / बहराइच	परसा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	1.20	4.53	45.41	49
23	बहराइच / बहराइच	श्यामलालपरसीपुरवा सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य	1.40	4.33	50.99	5

v.y.-2012-35

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
[illegible]

51	सोनभद्र /दुद्धी	राजस्व ग्राम खैराही सम्पर्क मार्ग के किमी0-1,2 व 3(500) का निर्माण	2.50	6.99	155.36	162.35
52	सोनभद्र /दुद्धी	राजस्व ग्राम कुण्डाडीह के (चन्द्रमान गुप्ता) सम्पर्क मार्ग के किमी0-1,2,3 व 4(500) का निर्माण	3.50	13.28	244.97	258.25
53	सोनभद्र /दुद्धी	एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम कुड़पान का कुड़पान टोला सम्पर्क मार्ग के किमी0-1,2 व 3 का निर्माण	3.00	14.30	226.14	240.44
54	सोनभद्र /दुद्धी	राजस्व ग्राम राजारसई सम्पर्क मार्ग के किमी0-1(500) का निर्माण	0.50	2.05	52.89	54.94
55	सोनभद्र /दुद्धी	राजस्व ग्राम झापर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 व 2(500) का निर्माण	1.50	6.12	127.69	133.81
56	सोनभद्र	नयाटोला से खाड़िया सम्पर्क मार्ग	6.00	16.94	335.92	352.86
57	सोनभद्र	मझौली आजा बोदरा सम्पर्क मार्ग	2.00	5.59	110.76	116.35
58	सोनभद्र	बैरपुर से खारगिया सम्पर्क मार्ग	4.000	11.27	248.06	259.33
59	सोनभद्र	घुमरवा से कैमहवा सम्पर्क मार्ग	1.500	4.21	81.48	85.69
60	सोनभद्र	सरया सम्पर्क मार्ग	2.000	5.55	109.84	115.39
61	सोनभद्र	पी0एम0जी0एस0वाई0 से परिपत्र टोला सम्पर्क मार्ग	1.500	4.13	85.64	90.97
62	सोनभद्र	मदहरी सम्पर्क मार्ग	2.000	5.68	110.05	115.73
63	सोनभद्र	प्रा0पा0 खवेया सम्पर्क मार्ग	2.000	6.88	105.05	111.93
64	सोनभद्र	अमोखर सम्पर्क मार्ग	3.00	27.30	216.33	243.63
64		महायोग—	124.47	607.16	6231.44	6901.43

C.D-5-RWD

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव

अधिशासी अभियन्ता
[illegible]
[illegible]